



2026:AHC:126449

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19054/2026

जाबिर

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: आशीष कुमार तिवारी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मामला अपराध/एफआईआर संख्या 76/2026, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/22 के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन-तितावी, जिला-मुजफ्फरनगर, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसके पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। उसका नाम सह-आरोपी के बयान से ही सामने आया है। उन्होंने यह भी बताया कि सह-आरोपी दानिश, जिसे घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13605/2026 में दिनांक 24.04.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस न्यायालय की राय में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) के तहत आवश्यक संतुष्टि संतुष्ट है और आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है।
6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
7. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **जाबिर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
 - (iv) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (धारा 269 बीएनएस के समतुल्य) के तहत कार्यवाही कर सकती है।
 - (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (अनुरूप धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (अनुरूप धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9 जून, 2026

अमित

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।